दिनांक- 05.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 669/26

महोबा पुलिस

जनपद महोबा में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं से सीधा संवाद, "बहू–बेटी सम्मेलन" में सुरक्षा से लेकर स्वावलंबन तक की दी गई जानकारी।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत आज दिनांक 06.09.2026 को जनपद महोबा के समस्त थाना क्षेत्रों में "बहू–बेटी सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी एसओपी के क्रम में आयोजित इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें अपने अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा आत्मनिर्भरता के अवसरों के प्रति जागरूक करना रहा। विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में महिलाओं, बहुओं, बालिकाओं, छात्राओं, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्त्रियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, ग्राम प्रधानों तथा स्थानीय नागरिकों ने सहभागिता की।

सम्मेलन के दौरान महिला पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद करते हुए उनके समक्ष आने वाली समस्याओं, सुरक्षा संबंधी चिंताओं एवं सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा की गई। महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न तथा लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में बालिकाओं एवं छात्राओं को शिक्षा को अपने सशक्तिकरण का माध्यम बनाने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा किसी भी दबाव अथवा प्रलोभन में आकर जल्दबाजी में निर्णय न लेने की सलाह दी गई। साथ ही आत्मरक्षा, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार एवं सोशल मीडिया के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के संबंध में आवश्यक जानकारी साझा की गई।

महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराध के बढ़ते स्वरूपों से भी अवगत कराया गया। फर्जी कॉल, लिंक, KYC अपडेट, ऑनलाइन निवेश, पार्ट-टाइम जॉब, डिजिटल अरेस्ट, कूरियर एवं अन्य साइबर ठगी के तरीकों के प्रति सावधान करते हुए OTP, UPI PIN, CVV, पासवर्ड एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने की अपील की गई। साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 पर सूचना देने के साथ ही निकटतम थाना अथवा साइबर सेल से संपर्क करने की जानकारी दी गई।

"बहू–बेटी सम्मेलन" के माध्यम से महिलाओं को शासन द्वारा संचालित महिला एवं बालिका कल्याण से जुड़ी योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में भी बताया गया। मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क, वन स्टॉप सेंटर, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजनाओं एवं प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र महिलाओं को इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

इस दौरान महिला सुरक्षा एवं सहायता के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076, 102 एवं 108 के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर महिलाएं एवं बालिकाएं बिना किसी संकोच के इन सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं द्वारा बताई गई समस्याओं एवं सुझावों को पुलिस टीमों द्वारा गंभीरता से सुना गया तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। महोबा पुलिस द्वारा महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस हर समय तत्पर है।

"बहू–बेटी सम्मेलन" के माध्यम से महोबा पुलिस ने महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें अपनी आवाज स्वयं उठाने, अधिकारों के प्रति सजग रहने और सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

महोबा पुलिस

दिनांक- 06.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 670/26

मिशन शक्ति अभियान 5.0 :- परिवार परामर्श केन्द्र की पहल से 02 परिवारों में लौटी खुशियाँ, आपसी मतभेद हुए दूर...।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा पुलिस द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र के प्रभावी प्रयासों से कई बिखरते परिवारों को टूटने से बचाया गया है। संवाद, समझ और संवेदनशील परामर्श के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान कर परिवारों में पुनः खुशियों की वापसी कराई गई।

आज दिनांक 06.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा स्थित सभाकक्ष में परिवार परामर्श केन्द्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला द्वारा की गई। कार्यक्रम में परिवार परामर्श केन्द्र के सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान पति-पत्नी के 36 ऐसे जोड़ों, जिनके मध्य पारस्परिक पारिवारिक विवाद चल रहा था, की गहन काउंसिलिंग की गई। प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना गया तथा दोनों पक्षों की समस्याओं के समाधान हेतु संयमित, सकारात्मक एवं संवेदनशील परामर्श प्रदान किया गया। काउंसिलिंग के परिणामस्वरूप 02 पति-पत्नी (दंपत्ति) पुनः आपसी सहमति से साथ रहने के लिए राज़ी हुए। शेष प्रकरणों को आगामी तिथि पर पुनः काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है।

परिवार परामर्श केन्द्र एवं जनपद महोबा पुलिस के इन सफल प्रयासों की प्रभावित परिवारों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

परामर्श कार्यक्रम के दौरान म0हे0कां0 अल्का, म0कां0 ममता, म0कां0 मानसी, म0कां0 शीला, म0कां0 ममता सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर श्रीमती अंशु शिवहरे, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री रामजी गुप्ता आदि सम्मानित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति सराहनीय रही।

दिनांक- 06.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 671/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ – थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने मुकदमें से संबंधित 01 नफऱ वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में प्रचलित त्यौहारों के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 06.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित उ0नि0 ऋषी शुक्ला चौकी प्रभारी सौरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के तहत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

गठित पुलिस टीम के द्वारा 01 नफर अभियुक्त हिमांशू गुप्ता पुत्र बालकिशन उम्र 27 वर्ष निवासी पुरानी गल्ला मण्डी मस्जिद के पास कस्बा व थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0 सम्बन्धित मु0 परिवाद सं0 172/2019 धारा 498ए/323/504/506 भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट में मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ जनपद महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

हिमांशू गुप्ता पुत्र बालकिशन उम्र 27 वर्ष निवासी पुरानी गल्ला मण्डी मस्जिद के पास कस्बा व थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 ऋषी शुक्ला चौकी प्रभारी सौरा

2.हे0कां0 जंगबहादुर

3.कां0 अनिल कुमार यादव

दिनांक- 06.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 672/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर – थाना खन्ना

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने मुकदमें से संबंधित 01 नफऱ वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में प्रचलित त्यौहारों के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 06.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खन्ना श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा गठित वरि.उ0नि0 बृजेश कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के तहत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

गठित पुलिस टीम के द्वारा 01 नफर अभियुक्त लवलेश पुत्र राम औतार उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बन्धित क्रिमिनल केश सं0 5457/2021 अ0सं0 91/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में मा0 न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मजिस्ट्रेड महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम खन्ना के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

लवलेश पुत्र राम औतार उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.वरि.उ0नि0 बृजेश कुमार चतुर्वेदी

2.कां0 राहुल कुमार